अध्याय - 3

वित्तीय प्रतिवेदन

यह अध्याय वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों सहित राज्य सरकार द्वारा अनुपालन के विहंगावलोकन एवं स्थिति को प्रस्तुत करता है।

3.1 अनुदानों के विरूद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

झारखण्ड वित्तीय नियम (झा.वि.नि.) निर्धारित करता है कि विभागीय अधिकारी को अनुदानग्राही संस्थाओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) प्राप्त करना चाहिए और सत्यापन के उपरान्त इन्हें महालेखाकार (लेखा एवं हक.), झारखण्ड को उनकी संस्वीकृति के 12 महीनों के अंदर अग्रेषित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2016-17 तक भुगतान किये गये ₹ 38,911.59 करोड़ के कुल अनुदानों से संबंधित देय कुल 21,391 उ.प्र.प. मार्च 2018 के अंत तक बकाया थे। ऐसे उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का एक बड़ा भाग पाँच विभागों यथा पशुपालन विभाग (₹ 8,336.50 करोड़ के कुल के कुल 2,312 करोड़ उ.प्र.प.), नगर विकास विभाग (₹ 8,318.73 करोड़ के कुल ₹ 6,237 उ.प्र.प.), कृषि विभाग (₹ 1,842.67 करोड़ के कुल 7,744 उ.प्र.प.), कल्याण विभाग (₹ 1,622.14 करोड़ के कुल 89 उ.प्र.प.) और उद्योग विभाग (₹ 486.04 करोड़ के कुल 839 उ.प्र.प.) के विरूद्ध बकाये थे। बकाये उ.प्र.प. का विभागवार वर्गीकरण **परिशिष्ट 3.1** में दर्शाया गया है।

31 मार्च 2018 को बकाये उ.प्र.प. की संख्या एवं राशि क्रमश: 21,391 एवं ₹ 38,911.59 करोड़ थी जैसा कि **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1 : 31.03.2018 को बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(₹ करोड़ में)

वर्ष जिसमें सहायता अनुदान वितरित किये गये	वर्ष जिसमें उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया हुआ	बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
		संख्या	राशि
2014-15 तक	2015-16 तक	7,318	10,678.82
2015-16	2016-17	9,054	10,751.41
2016-17	2017-18	5,019	17,481.36
बकाये उ.प्र.प. की कुल सं.		**21,391**	**38,911.59**

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे 2017-18

अग्रतर, 30 सितम्बर 2018 को वृहत बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों वाले छः विभागों में विगत चार वर्षों की तुलनात्मक स्थिति निम्न तालिका में दी गई हैं:

तालिका 3.2: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों वाले प्रमुख विभाग (30.09.2018 को)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17	
		उ.प्र.प. की सं.	राशि	उ.प्र.प. की सं.	राशि	उ.प्र.प. की सं.	राशि	उ.प्र.प. की सं.	राशि
1	मानव संसाधन	12	404.49	88	1,148.89	513	2,049.97	1,587	4,430.09
2	ग्रामीण विकास	00	0.00	01	0.90	182	1,294.63	237	2,840.33
3	पशुपालन	03	1.28	0	0.00	0	0.00	06	39.25
4	कृषि	07	17.04	06	68.07	107	138.02	210	82.62
5	शहरी विकास	793	404.76	823	845.22	700	2,162.64	1,141	3,859.39
6	कल्याण	152	166.77	215	226.26	6,505	1,038.08	546	200.81
7	उद्योग	01	2.00	84	113.03	376	226.59	341	100.28
सकल योग		**968**	**996.34**	**1,217**	**2,402.37**	**8,383**	**6,909.93**	**4,068**	**11,552.77**

2013-14 के बाद लंबित उ.प्र.प. की राशि और संख्या में वृद्धि, निधियों को जैसी कि पहले परंपरा थी सीधे एजेंसियों को अंतरित करने के बजाय राज्य बजट के माध्यम से राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को अंतरित करने के भारत सरकार के निर्णय (जुलाई 2013) का परिणाम है । हालाँकि, इस निर्णय के बाद भी, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं, केंद्रीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों, सोसाइटियों और गैर सरकारी संगठनों को निधियों का सीधा अंतरण भारत सरकार द्वारा जारी रखा गया था। 2014-15 के दौरान निधियों का सीधा अंतरण ₹ 2,602 करोड़ से घटकर` ₹ 131 करोड़ हो गया जो कि 2017-18 में बढ़कर ₹ 322 करोड़ हो गया।

यह भी पाया गया कि झारखण्ड सरकार[1] द्वारा कोषागार संहिता नियम 329-331 के शिथिल किये जाने, जिसमें प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया, के बाद बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की राशि 2014-15 में ₹ 5,148.57 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 38,911.59 करोड़ हो गयी।

मार्च 2018 के अंत में सहायता अनुदान विपत्रों (₹ 38,911.59 करोड़) के विरुद्ध उ.प्र.प. की अप्राप्ति, नियत उद्देश्य हेतु अनुदानों की उपयोगिता का समयोचित प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करने के नियमों व प्रक्रियाओं के अनुपालन में विभागीय अधिकारियों की विफलता को इंगित करता है। उ.प्र.प. का अत्यधिक लंबित रहना निधियों के दुर्विनियोजन और धोखाधड़ी के जोखिम से भरा हुआ होता है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिये जिसके अंदर अनुदान विमुक्त करने वाले प्रशासनिक विभाग अनुदान आदेशों में निर्धारित से अधिक समय तक लंबित उ.प्र.प. प्राप्त करें और ये भी सुनिश्चित करें कि उस समय

[1] पत्रांक 759/एफ दिनांक 20.03.2015

तक, प्रशासनिक विभाग चूककर्ता अनुदानग्राहियों को कोई अगला अनुदान विमुक्त न करें। सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध जो समय पर उ.प्र.प. प्रस्तुत करने में विफल रहे उचित कार्रवाई शुरू कर सकती है।

3.2 स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों तथा अनुदानग्राही संस्थानों के लेखाओं का प्रस्तुतिकरण और लेखापरीक्षा

3.2.1 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ व सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा

निकाय तथा प्राधिकरण जो समेकित निधि से ऋण या अनुदान के रूप में पर्याप्त रूप से वित्त पोषित हों, या जो विशिष्ट उद्देश्यों हेतु ऐसे ऋण या अनुदान प्राप्त करते हों, की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) द्वारा किया जाता है। वर्तमान में, कुल 75 ऐसे निकाय या प्राधिकरण हैं, जिनमें से 74 की लेखापरीक्षा की गई है, जैसा कि **परिशिष्ट 3.2** में उल्लिखित है।

संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 75 निकायों/प्राधिकरणों में से किसी भी निकाय/प्राधिकरण ने अद्यतन किया हुआ लेखा 28 फरवरी 2019 तक प्रस्तुत नहीं किया, जबकि दो[2] निकायों/प्राधिकरणों ने लेखापरीक्षा को शुरूआत से अपना लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। बारंबार प्रतिवेदित किये जाने के बावजूद अन्य निकायों/प्राधिकरणों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलंब का दायरा एक से 14 वर्षों के बीच था।

अनुशंसा: राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिये उचित युक्ति अपनाने की आवश्यकता है कि ये लेखाएँ एक निर्धारित समय-सीमा के अन्दर संकलित और लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं ताकि वित्तीय अनियमितताएँ, यदि कोई हो, संज्ञान से बाहर ना रह जायें।

3.2.2 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ व सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 एवं 20 के अंतर्गत लेखापरीक्षा

राज्य में ऐसे पाँच[3] स्वायत्त निकाय है जिनके लेन-देनों, प्रचालन गतिविधियों और लेखाओं के सत्यापन, लेन-देनों के अनुपालन लेखापरीक्षा का संचालन, आंतरिक प्रबंधन और वित्तीय नियंत्रण की समीक्षा, पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा इत्यादि के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ व सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 एवं 20 के अंतर्गत लेखापरीक्षा किया जाना है।

इन स्वायत निकायों के लेखाओं का प्रस्तुतिकरण एवं लेखापरीक्षा की स्थिति के विवरण **तालिका 3.3** में दिये गये हैं।

---

[2] झारखण्ड एड्स नियंत्रण सोसाइटी, राँची और झारखण्ड जैव विविधता परिषद, डोरण्डा, राँची

[3] (i) 22 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (डी.एल.एस.ए.) सहित झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा), (ii) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी.), (iii) राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), (iv) राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) तथा (v) झारखंड आवास बोर्ड, राँची।

तालिका 3.3 : स्वायत निकायों के लेखाओं का प्रस्तुतिकरण एवं लेखापरीक्षा की स्थिति का विवरण

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिस तक लेखे प्रस्तुत किये गये	अवधि जिस तक पृ.ले.प्र. निर्गत हुये	विधानसभा में पृ.ले.प्र. का उपस्थापन	टिप्पणियाँ
1	झाररखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा)	2016-17	2016-17	सूचित नहीं किया गया।	वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखे अब तक प्राप्त नहीं हुए है (फरवरी 2019)।
2	झाररखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी.)	2014-15	2011-12	अब तक उपस्थापित नहीं किया गया ।	वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के वार्षिक लेखे अब तक प्राप्त नहीं हुए (दिसम्बर 2018)।
3	राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स)	शून्य	शून्य	शून्य	सक्रिय अनुनय के बावजूद वर्ष 2010-11 से 2017-18 तक के वार्षिक लेखे दिसम्बर 2018 तक प्राप्त नहीं हुए है।
4	राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान, राँची (रिनपास)	शून्य	शून्य	शून्य	वार्षिक लेखे अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, अनुपालन लेखापरीक्षा नियमित रूप से संचालित किया जा रहा है।
5	झारखण्ड आवास बोर्ड, राँची	शून्य	शून्य	शून्य	शुरूआत से (2001) वार्षिक लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, अनुपालन लेखापरीक्षा नियमित रूप से संचालित किया जा रहा है।

पृ.ले.प्र. - पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

झालसा के लेखापरीक्षित लेखाओं के संबंध में पृ.ले.प्र. के उपस्थापन संबंधी सूचना सक्रिय अनुनय के बावजूद प्रदान नहीं की गयी है। अग्रतर, हालाँकि लेखापरीक्षा ने उपरोक्त तालिका में उल्लिखित तीन निकायों के लेखे के प्रस्तुतिकरण के लिये मामले को लगातार संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाया, इसे शुरूआत से लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया है। हालाँकि, इन निकायों का अनुपालन लेखापरीक्षा नियमित रूप से संचालित किया जा रहा है।

3.2.3 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलंब

कंपनी अधिनियम, 2013 निर्धारित करता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कंपनियों की वित्तीय विवरणियाँ संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अंदर अर्थात अगले वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर तक तैयार किया जाना आवश्यक है। समय पर लेखा प्रस्तुत करने में विफलता कंपनी के अधिकारियों को अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रावधानों का भागीदार बनाती है।

निम्न **तालिका 3.4** 31 दिसम्बर 2018 को सा.क्षे.उ. द्वारा लेखाओं को अंतिम रूप देने में प्रगति का विवरण प्रस्तुत करती है।

तालिका 3.4: कार्यशील एवं अकार्यशील सा.क्षे.उ. के लेखाओं के अंतिम रूप से संबंधित स्थिति

क्र. सं.	विवरण	कार्यशील	अकार्यशील	कुल
1	सा.क्षे.उ. की संख्या	22	3	25
2	बकाया लेखाओं वाले सा.क्षे.उ. की संख्या	20	01	21
3	बकाया लेखाओं की संख्या	55	05	60
4(क)	छह वर्षों से अधिक बकाया लेखाओं वाले सा.क्षे.उ. की संख्या	02	00	02
4(ख)	उपरोक्त सा.क्षे.उ. में बकाया लेखाओं की संख्या	17	00	17
5(क)	तीन से पाँच वर्षों के बीच बकाया लेखाओं वाले सा.क्षे.उ. की संख्या	06	01	07
5(ख)	उपरोक्त सा.क्षे.उ. में बकाया लेखाओं की संख्या	24	05	29
6(क)	एक से दो वर्षों के बीच बकाया लेखाओं वाले सा.क्षे.उ. की संख्या	14	00	14
6(ख)	उपरोक्त सा.क्षे.उ. में बकाया लेखाओं की संख्या	15	00	15
7	बकाये का विस्तार (वर्षों में)	1 से 9	1 से 5	1 से 9

स्रोत: कंपनियों द्वारा प्रदत्त सूचनाओं से संकलित आँकड़े

लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण, नौ वर्षों की अवधि तक इन कंपनियों की पूरक लेखापरीक्षा, जैसा कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित है, करने में सी.ए.जी. असमर्थ रहा है।

उपरोक्त यह सुनिश्चित करने में संबंधित प्रशासनिक विभागों एवं विशेष रूप से वित्त विभाग की विफलता को इंगित करता है कि चूककर्ता कंपनियाँ संबद्ध अधिनियमों का अनुपालन करें। अग्रतर, यह पाया गया कि राज्य सरकार ने 2008-09 एवं 2016-17 के बीच, चार सा.क्षे.उ., जिन्होंने अपने लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया था, के शेयर पूँजी में ₹ 64.97 करोड़ का निवेश किया था।

अनुशंसा: वित्त विभाग को सभी सा.क्षे.उ. जिनके लेखे बकाया हैं के मामलों की समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि लेखे एक तर्कसंगत अवधि के भीतर अद्यतन किये जाते हैं और उन सभी मामलों में वित्तीय सहायता को रोक देना चाहिए जहाँ लेखे लगातार बकाया हैं।

3.2.4 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लाभांश घोषित नहीं किये गये

राज्य सरकार ने ऐसी कोई लाभांश नीति तैयार नहीं किया है जिसके अंतर्गत सा.क्षे.उ. को राज्य सरकार द्वारा अंशदानित प्रदत्त शेयर पूँजी पर एक न्यूनतम प्रतिफल भुगतान करना आवश्यक हो। अद्यतन पूर्ण लेखाओं के अनुसार, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड ने 2017-18 के दौरान ₹ 4.33 करोड़ का लाभ अर्जित किया पर सरकार को कोई लाभांश नहीं दिया गया।

अनुशंसा: राज्य सरकार को शेयर पूँजी के रूप में अपने निवेश पर प्रतिफल के लिए लाभांश नीति बनाना चाहिए।

3.3 संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) विपत्रों पर आहरित निधियों की लेखापरीक्षा

झारखण्ड कोषागार संहिता (जे.टी.सी.), 2016 निर्धारित करता है कि जब कोषागार से आकस्मिक प्रभार एक अग्रिम के रूप में संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) विपत्रों पर समर्थित अभिश्रवों के बगैर आहरित किया जाता है तो उप-अभिश्रवों से समर्थित और

नियंत्री अधिकारी (नि.आ.) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित संबद्ध विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) विपत्रों को ए.सी. विपत्र की तिथि से छः माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को समर्पित करना है।

30.10.2018 को लंबित डी.सी. विपत्रों के वर्षवार विवरण **तालिका 3.5** में दिये गये हैं।

तालिका 3.5 लंबित डी.सी.विपत्रों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आहरित ए.सी. विपत्र		समर्पित डी.सी. विपत्र		बकाया डी.सी. विपत्र		डी.सी. विपत्रों के बकाया राशि का *प्रतिशत*
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
2014-15 तक	55,382	15,915.51	38,156	12,271.45	17,226	3,644.06	22.90
2015-16	806	1,224.91	287	718.37	519	506.54	41.35
2016-17	459	1,267.80	96	762.26	363	505.54	39.88
2017-18	335	1,209.12	37	649.60	298	559.52	46.27
कुल	**56,982**	**19,617.34**	**38,576**	**14,401.68**	**18,406**	**5,215.66**	**26.59**

अधिकतम राशि के लंबित डी.सी. विपत्रों वाले विभागों और उनके तुलनात्मक विवरण **तालिका 3.6** में दिए गए हैं:

तालिका 3.6 : बकाया डी.सी. विपत्रों का विभाग-वार तुलनात्मक विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	30.10.2018 को बकाया डी.सी. विपत्र				कुल
		2014-15 तक	2015-16	2016-17	2017-18	
1	ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	625.02	138.38	163.49	278.14	1,205.03
2	कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	538.18	21.40	22.23	5.12	586.93
3	महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग	450.05	83.72	0.00	0.00	533.77
4	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग	446.48	68.44	18.05	5.64	538.61
5	गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	96.90	28.15	30.10	79.96	235.11
	कुल	**2,156.63**	**340.09**	**233.87**	**368.86**	**3,099.45**

जैसा कि उपर तालिका में दिखाया गया है, 2014-15 तक ₹ 625.02 करोड़ की राशि का डी.सी. विपत्र ग्रामीण विकास विभाग के विरुद्ध बकाया था जो साल दर साल काफी बढ़ता गया।

2017-18 में ए.सी. विपत्र पर आहरित ₹ 1,209 करोड़ में से, ₹ 233 करोड़ (19.27 *प्रतिशत*) की राशि के ए.सी. विपत्र मार्च 2018 में आहरित किए गए और इसमें से, ₹ 40 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन आहरित किया गया। मार्च 2018 में ए.सी. विपत्र के माध्यम से प्रचुर व्यय इंगित करता है कि आहरण मुख्य रूप से बजट को समाप्त करने के लिये था और अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को प्रकट करता है।

ए.सी. विपत्र पर निधियों का आहरण और निर्धारित समय के भीतर डी.सी. विपत्र का समर्पण नहीं किया जाना न केवल वित्तीय अनुशासन भंग करता है, बल्कि इसमें लोक धन के दुर्विनियोजन और अस्वास्थ्यकर प्रथाओं के जोखिम भी सम्मिलित होता है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन ए.सी. विपत्रों पर निधियों का आहरण लोक धन के दुरुपयोग के जोखिम से भरा होता है।

3.4 ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा.वि.वि.) तथा आई.टी. एवं ई-गवर्नेंस के अंतर्गत ए.सी./डी.सी. विपत्रों की लेखापरीक्षा

ग्रा॰वि॰वि॰ तथा आई.टी. एवं ई-गवर्नेंस विभाग द्वारा 2000-2018 अवधि के दौरान ए.सी.विपत्रों पर आहरित की गयी निधियों की लेखापरीक्षा जुलाई-अक्तूबर 2018 के दौरान किया गया।

ग्रा॰वि॰वि॰ में, 2000-18 की अवधि के दौरान पाँच[4] मुख्य शीर्षो के अंतर्गत 5,963 ए.सी. विपत्रों के माध्यम से ₹ 4,965.86 करोड़ के राशि की निधि आहरित की गई, जिसमें से ₹ 1,293.34 करोड़ की राशि के 2854 डी.सी.विपत्र जुलाई 2018 तक बकाया थे। बकाया डी.सी. विपत्रों की कुल राशि में से ₹ 785.51 करोड़ की राशि दो वर्षों से अधिक समय से लंबित था।

इसी प्रकार, आई.टी. एवं ई-गवर्नेंस विभाग में, अक्तूबर 2018 तक ₹ 90.28 करोड़ की राशि का 41 डी.सी.विपत्र बकाया था जिसमें से ₹ 69.74 करोड़ की राशि का डी.सी.विपत्र दो वर्षों से अधिक समय से लंबित था जैसा कि **परिशिष्ट 3.3** में वर्णित है।

अग्रतर, नमूना जाँच किये गये आठ डी.आर.डी.ए.[5] के अभिलेखों की जाँच से यह उदघटित हुआ कि 2000-01 से 2017-18 के दौरान ए.सी. विपत्रों पर ₹ 1,751.77 करोड़ के कुल आहरण के विरूद्ध इन डी.आर.डी.ए. में ₹ 558.86 करोड़ (1,383 डी.सी. विपत्र) के डी.सी. विपत्र समर्पण के लिए बकाया थे।

निर्धारित अवधि में डी.सी. विपत्रों का समर्पण नहीं किया जाना न केवल वित्तीय अनुशासन को भंग करता है बल्कि इसमें लोक धन के दुर्विनियोजन और अस्वास्थ्यकर प्रथाओं का जोखिम भी होता है।

3.4.1 विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के समर्पण में विलंब

नमूना जाँच किये गये आठ डी॰आर॰डी॰ए॰ के अभिलेखों की जाँच से यह उदघटित हुआ कि 2000-01 से 2017 की अवधि के दौरान आहरित ₹ 746.16 करोड़ की राशि के 2,487 डी.सी.विपत्र प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को संहिता के प्रावधानों

---

[4] 2053-जिला प्रशासन, 2505-ग्रामीण रोजगार, 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 3451-सचिवालय आर्थिक सेवा और 4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

[5] बोकारो, पलामू, गढ़वा, गिरिडीह, दुमका, साहेबगंज, पूर्वी सिंहभूम और चतरा

का उल्लंघन करते हुए 15 वर्ष 07 माह 02 दिनो तक के विलंब से समर्पित किया गया।

इसी प्रकार, आई.टी. एवं ई-गवर्नेंस विभाग में, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को ₹ 3.32 करोड़ की राशि का पाँच डी.सी. विपत्र सात माह से लेकर दो वर्ष व सात माह के विलंब से समर्पित किया गया।

3.4.2 पूँजीगत कार्यों के लिए संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र पर निधियों का अनियमित आहरण

जेटीसी प्रपत्र 26 के साथ पठित, झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 184 के अनुसार, ए.सी.विपत्र केवल आकस्मिक प्रभारों के उद्देश्य के लिये हैं। इसलिये, पूँजीगत कार्य हेतु ए.सी. विपत्र पर निधियों का आहरण अनुमत्य नहीं है क्योंकि उक्त कार्य आकस्मिक प्रभारों की प्रकृति के नहीं हैं।

आई.टी. एवं ई-गवर्नेंस विभाग के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि वर्ष 2013-16 के दौरान जेटीसी के उपर्युक्त प्रावधानों के विपरीत मुख्य शीर्ष-4202 शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत दो[6] ए.सी. विपत्र पर ₹ 10.29 करोड़ पूँजीगत कार्यों हेतु आहरित किया गया।

आई.टी. एवं ई-गवर्नेंस विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2018) और कहा (अक्टूबर 2018) कि भविष्य में इससे बचा जाएगा।

3.4.3 वित्तीय वर्ष के अंत में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र के विरुद्ध आहरण

विनियोजन अधिनियम यह निर्धारित करता है कि कोषागार से आहरित धनराशि को वित्तीय वर्ष के भीतर ही उपयोग किया जाना चाहिए। झारखण्ड कोषागार संहिता भी बजट अनुदान को व्यपगत होने से रोकने हेतु कोषागार से आहरण मना करता है।

अभिलेखों की जाँच से यह पता चला कि अवर सचिव, आई.टी. एवं ई-गवर्नेंस विभाग द्वारा मार्च माह में ए.सी.विपत्रों के माध्यम से ₹ 9.96 करोड़ (वर्ष 2012-13 में ₹ 0.06 करोड़ और 2016-17 में ₹ 9.90 करोड़) आहरित किए गये जिसके विरुद्ध सितंबर 2018 के अंत तक डी.सी.विपत्र समर्पित नहीं किये गये थे।

बजट अनुदान के व्यपगत होने से बचाने के लिए ए.सी.विपत्र के माध्यम से निधि का आहरण एक अस्वास्थ्यकर परंपरा है और यह बजटीय प्रक्रिया के विरूद्ध है। इसके अतिरिक्त, कोडल प्रावधानों के विरुद्ध आहरित लोक धन के दुरूपयोग को नकारा नहीं जा सकता है।

---

6 आई.आई.आई.टी. राँची की स्थापना हेतु भू अर्जन, एस.टी.पी.आई., आदित्यपुर के निर्माण हेतु ठेकेदार को मोबिलाइज़ेशन अग्रिम

अनुशंसा: वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सारे नियंत्रक अधिकारी निर्धारित अवधि के बाद सभी लंबित ए.सी. विपत्रों को, समयबद्ध रूप से, समायोजित करें और यह भी सुनिश्चित करे कि केवल बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए ए.सी. विपत्र आहरित नहीं किये जाते हैं।

3.4.4 बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

जाँच से यह पता चला कि 31 मार्च 2018 तक ग्रा.वि.वि. में ₹ 4190.06 करोड़ के कुल 423 उ.प्र.प. और आई.टी. एवं ई-गवर्नेंस विभाग में ₹ 28.32 करोड़ के कुल नौ उ.प्र.प. बकाया थे जैसा कि **तालिका 3.7** में दिया गया है।

तालिका 3.7 : देय उपयोगिता प्रमाण पत्र का विस्तृत विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग	वर्ष	2014-15 तक		2015-16		2016-17		कुल	
	शीर्ष	लंबित उ.प्र.प. के संख्या	राशि	लंबित उ.प्र.प. के संख्या	राशि	लंबित उ.प्र.प. के संख्या	राशि	लंबित उ.प्र.प. के संख्या	राशि
ग्रा.वि.वि.	**2501**	1	0.90	171	242.88	197	454.10	369	697.88
ग्रा.वि.वि.	**2505**	0	0.00	11	1,051.75	43	2,440.43	54	3,492.18
आई.टी. एवं ई-गवर्नेंस	**2203**	4	25.03	0	0.00	5	3.29	9	28.32
	कुल	**5**	**25.93**	**182**	**1294.63**	**245**	**2897.82**	**432**	**4218.38**

स्रोत - वी॰एल॰सी॰ आँकड़े, म॰ले॰(लेखा एवं हक॰) झारखण्ड

अग्रतर, ग्रा.वि.वि. के आठ डी॰आर॰डी॰ए॰ के नमूना जाँच में पाता चला कि 2016-17 तक प्राप्त सहायता अनुदान के विरुद्ध 31 मार्च 2018 तक ₹ 6.01 करोड़ के कुल 125 उ.प्र.प. बकाया थे।

उत्तर में डी॰आर॰डी॰ए॰ प्रशासकों ने बताया (अक्टूबर 2018) कि उपयोगिता प्रमाण पत्र ग्रा.वि.वि. को सौंप दिये गये थे। तथापि, विभाग द्वारा इसे (अक्तूबर 2018 तक) प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को अग्रेषित नहीं किया गया है।

इस प्रकार, उ.प्र.प. का समर्पण लंबित रहना विभागीय अधिकारियों द्वारा अपेक्षित उद्देश्यों हेतु अनुदानों की उपयोगिता का समयबद्ध समर्पण सुनिश्चित करने में नियमावलियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन में विफलता को इंगित करता है। उ.प्र.प. का अत्यधिक लंबित रहना निधियों के दुर्विनियोजन और धोखाधड़ी के जोखिम से भरा है।

अनुदान सं. 45-आई.टी. एवं ई-गवर्नेंस की लेखापरीक्षा से पता चला कि जे॰एस॰ए॰सी॰ को दी गई सहायता अनुदान की संपूर्ण राशि (2016-17 में ₹ 1.12 करोड़ तथा 2017-18 में ₹ 1.41 करोड़) हेतु उ.प्र.प. समर्पित किये गये हालाँकि ₹ 18.13 लाख व्यय नहीं किया गया और जे॰एस॰ए॰सी॰ के व्यक्तिगत बही खाते में पड़ा था (अप्रैल 2018)।

उत्तर में निदेशक, जे॰एस॰ए॰सी॰ ने कहा (जनवरी 2019) कि 2018-19 के दौरान ₹ 17.43 लाख व्यय किए गए और ₹ 0.70 लाख शेष बचे थे।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सिर्फ वास्तव में व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित किया जाना चाहिए था।

3.5 दुर्विनियोजन, हानि इत्यादि संबंधी मामले का प्रतिवेदन

झारखण्ड वित्तीय नियमावली का नियम 31 प्रावधान करता है कि लोक धन, सरकारी राजस्व, भण्डार या अन्य सम्पत्ति की गबन या अन्य प्रकार से हानि को कार्यालय द्वारा उच्च प्राधिकारी, वित्त विभाग के साथ-साथ महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड को अविलंब सूचित किया जाना चाहिये, तब भी जब ऐसी हानि के लिए उत्तरदायी पक्ष द्वारा इसकी भरपाई कर दी गयी हो। ऐसी सूचनाएँ यथाशीघ्र, जैसे ही संदेह उत्पन्न हो कि कोई हानि हुई है, समर्पित की जानी चाहिये; इसमें विलंब नहीं किया जाना चाहिये जब जाँच पड़ताल किये जा रहे हों।

लेखापरीक्षा माँगपत्र के बावजूद (24 अगस्त 2018), वित्त विभाग से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2019)।

तथापि, विगत वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा आग्रह के प्रत्युत्तर में, वित्त विभाग ने सूचना उपलब्ध कराने हेतु विभागों को निर्देश दिया था जिन्होंने आगे लेखापरीक्षा को सूचना उपलब्ध कराने के लिए निकासी व व्ययन पदाधिकारियों को अनुदेशित किया था। यह इंगित करता है कि वित्त विभाग के पास ऐसे मामलों के अनुश्रवण के लिये नियम 31 के अंतर्गत अपेक्षित कोई सूचना नहीं है। इस प्रकार, वित्त विभाग किसी भी समय में ऐसे मामलों की संख्या और इनकी स्थिति से अवगत नहीं है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को वित्तीय नियम 31 के आलोक में एक तंत्र विकसित करना चाहिए ताकि वो ऐसे मामलों का अनुश्रवण कर सके।

3.6 निधियों का आहरण और व्यक्तिगत बही खातों में रखा जाना

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 के अनुसार, कोषागार से धनराशि का आहरण नहीं किया जाना चाहिए यदि यह तत्काल भुगतान हेतु आवश्यक न हो।

2017-18 के वित्त लेखे और लेखे के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों के जमा के अंतर्गत लघु शीर्ष में वर्ष लेन देन से संबद्ध और अभिश्रव स्तरीय कंप्यूटरीकरण (वी.एल.सी.) आँकड़ों की समीक्षा से उद्घटित हुआ कि 31 मार्च 2018 तक राज्य सरकार के 19 विभागों के विभिन्न एजेंसियों द्वारा 177 व्यक्तिगत बही खाते संचालित किये गये।

2017-18 के दौरान, ₹ 9,488.40 करोड़ के आरंभिक शेष में ₹ 12,694.02 करोड़ जोड़ा गया फलस्वरूप व्यक्तिगत बही खातों में ₹ 22,182.42 करोड़ का संचय हुआ। अग्रतर, वर्ष के दौरान ₹ 8,979.76 करोड़ व्यय किया गया जिससे 2017-18 के अंत

में व्यक्तिगत बहीखातों में ₹ 13,202.66 करोड़ का शेष बचा रहा। व्यक्तिगत बहीखातों के शेषों के वर्षवार विवरण नीचे दिये गये हैं:

तालिका 3.8: व्यक्तिगत बही खातों में निधियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियाँ	संवितरण	अंत शेष
2014-15	2,597.50	5,155.09	4,422.64	3,329.95
2015-16	3,329.95	12,054.22	10,166.20	5,217.97
2016-17	5,217.97	8,406.87	4,136.44	9,488.40
2017-18	9,488.40	12,694.02	8,979.76	13,202.66

तालिका 3.8 से स्पष्ट है कि व्यक्तिगत बहीखातों में जहाँ प्रतिवर्ष एक बड़ी राशि जोड़ी गयी वहीं उन वर्षों में किया गया व्यय काफी कम था जिससे अंतशेष में तीक्ष्ण वृद्धि हुई।

आगे यह देखा गया कि 2017-18 के दौरान 19 विभागों ने व्यक्तिगत बही खातों में ₹ 3714.26 करोड़ की राशि रख छोड़ा था जिसमें ₹ 656.44 करोड़ मार्च 2018 में अंतरित की गई। इस प्रकार, ₹ 13,202.66 करोड़ की निधि सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण से परे समेकित निधि के बाहर सृजित की गई जो बजटीय नियंत्रण प्रणाली के प्रावधानों के विरुद्ध है। 2017-18 के दौरान राज्य सरकार के व्यय को भी ₹ 3,714.26 करोड़ तक ज्यादा बताया गया ।

जैप-आई॰टी॰[7] के अभिलेखों की जाँच ने उद्घटित किया कि 31.03.2018 को उनके व्यक्तिगत बही खाते में शेष ₹ 83.37 करोड़ था। आगे यह पाया गया कि हालाँकि प्रति वर्ष व्यक्तिगत बही खाते में एक बड़ी राशि जोड़ी गयी, 2014-15 से 2017-18 के दौरान व्यय काफी कम था, परिणामतः व्यक्तिगत बही खाते में निधियों का संचय हुआ। एजेंसी के व्यक्तिगत बही खाते में शेषों के वर्षवार विवरण **तालिका 3.9** में दिये गये हैं।

तालिका 3.9 : व्यक्तिगत बही खाते में निधियाँ (जैप-आई.टी.)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	1 अप्रैल को आरंभिक शेष	प्राप्तियाँ	संवितरण	31 मार्च को अंतशेष
2014-15	43.00	44.99	34.31	53.68
2015-16	53.68	98.63	49.75	102.56
2016-17	102.56	100.94	69.80	133.70
2017-18	133.70	30.51	80.84	83.37

व्यक्तिगत बही खाते में बिना खर्च के पड़ी राशि में, जिसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व न तो आवधिक समाशोधित किया गया और न हीं समेकित निधि में अंतरित

[7] झारखण्ड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी

किया गया, दुरूपयोग, धोखाधड़ी और लोक निधियों के दुर्विनियोजन का जोखिम निहित होता है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को सभी व्यक्तिगत बही खातों की समीक्षा तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन व्यक्तिगत बही खातों में पड़ी सभी अनावश्यक राशियाँ तत्काल समेकित निधि में जमा करायी जाती हैं। अग्रतर, वित्त विभाग को वित्तीय नियमावलियों में सन्निहित निर्देशों को दुहराने और सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विभागीय अधिकारियों जो नियमावलियों के अनुसरण में विफल रहते हैं के विरूद्ध समुचित कार्रवाई की जाती है।

3.7 लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत दर्ज किया जाना

प्राप्तियों या व्यय को लघु शीर्ष "800-अन्य प्राप्तियाँ" एवं "800-अन्य व्यय" के अंतर्गत दर्ज करना अस्पष्ट माना जाता है क्योंकि ये शीर्ष उन योजनाओं, कार्यक्रमों आदि जिनसे राशियाँ संबंधित होती हैं, को स्पष्ट नहीं करते। ये लघु शीर्ष उन प्राप्तियों/व्यय को सामान्यतः समायोजित कर लेते हैं जिन्हें उपलब्ध कार्यक्रम लघु शीर्षों के अधीन या बजट तैयारी के चरण में उपलब्ध लेखाशीर्षों के अधीन गलत प्रावधानों के कारण वर्गीकृत नहीं किये जा सकते।

2017-18 के दौरान, 12 मुख्य शीर्षों में लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के अंतर्गत ₹ 2,006.67 करोड़ दर्ज किये गये, जिसमें से छ मुख्य शीर्षों के अधीन ₹ 1966.54 करोड़ (इन शीर्षों में कुल ₹ 7221.87 करोड़ के व्यय का 27.23 *प्रतिशत*) के समग्र व्यय (प्रत्येक मामले में कुल व्यय के 10 *प्रतिशत* से अधिक) लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के अंतर्गत दर्ज किए गए जैसा कि **परिशिष्ट 3.4** में वर्णित है।

इसी प्रकार, 49 मुख्य शीर्षों में लघु शीर्ष ''800-अन्य प्राप्तियों'' के अंतर्गत ₹ 1,107.08 करोड़ दर्ज किये गए, जिनमें से 26 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत, ₹ 781.43 करोड़ (इन शीर्षों में कुल ₹ 1,467.47 करोड़ की कुल प्राप्तियों का 53.25 *प्रतिशत*) की राजस्व प्राप्तियाँ (प्रत्येक मामलों में कुल प्राप्तियों के 40 *प्रतिशत* से ज्यादा) लघु शीर्ष "800-अन्य प्राप्तियाँ" के अधीन वर्गीकृत किये गये। 11 मुख्य शीर्षों में समस्त प्राप्तियाँ इस बहुप्रयोज्य लघु शीर्ष ''800- अन्य प्राप्तियाँ'' के अधीन वर्गीकृत किये गये जैसा कि **परिशिष्ट 3.5** में वर्णित है।

अनुशंसा: वित विभाग को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के परामर्श से वर्तमान में लघुशीर्ष 800 के अधीन दर्शाये जा रहे सभी मदों की विस्तृत समीक्षा करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी ऐसी प्राप्तियाँ व व्यय भविष्य में उचित लेखा-शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किये जाएँ।

3.8 लेखाओं की शुद्धता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण अवयव

- **प्रमुख उचंत लेखे के अंतर्गत बकाया शेष**

उचंत शीर्ष का प्रचालन तब किया जाता है जब प्राप्तियों एवं भुगतानों के लेन-देन जिन्हें उनकी प्रकृति की सूचना के अभाव में अथवा अन्य कारणों से किसी अंतिम लेखाशीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सकता। ऐसे लेखाशीर्ष ऋणात्मक डेबिट या ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा अंतिम रूप से निष्पादित किये जाते हैं जब उनके अंतर्गत राशियाँ उनसे संबद्ध अंतिम लेखाशीर्षों में दर्ज कर लिये जाते हैं। वर्ष के अंत में अनिष्पादित रह गयी उचंत राशियाँ सरकार के उस वर्ष के प्राप्ति और व्यय के सही प्रतिबिंब को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं। राज्य के उचंत शेषों की स्थिति **तालिका 3.10** में इंगित है।

तालिका 3.10 : उचंत शीर्ष (8658) के अंतर्गत शेषों की स्थिति

लघु शीर्ष के नाम	2015-16		2016-17		2017-18	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
101 वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत	19.10	0.00	46.06	24.77	70.90	45.38
निवल	डेबिट 19.10		डेबिट 21.29		डेबिट 25.52	
102 उचंत लेखा (सिविल)	6.72	5.76	160.19	11.59	196.54	17.27
निवल	डेबिट 0.96		डेबिट 148.60		डेबिट 179.27	

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे 2017-18

इन शीर्षों के अंतर्गत शेषों के निहितार्थ नीचे बताये गये हैं:

- **भुगतान एवं लेखा कार्यालय (पी.ए.ओ.) उचंत**

इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया डेबिट शेष उन भुगतानों को दर्शाते हैं जो केन्द्र सरकार विभागों के पी.ए.ओ. की ओर से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड द्वारा किए गए हैं, जिनकी वसूली किया जाना बाकी है। बकाया क्रेडिट शेष पी.ए.ओ. द्वारा राज्य सरकार की ओर से किये गए उन भुगतानों को दर्शाते हैं जिन्हें प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को प्रतिपूरित किया जाना है। इस शीर्ष के अंतर्गत निवल डेबिट शेष (₹ 25.52 करोड़) के समायोजन पर राज्य सरकार के रोकड़ शेष में वृद्धि होगी।

- **उचंत लेखा (सिविल)**

यह लघु शीर्ष प्राप्तियों को लेखांकित करने के लिए क्रेडिट एवं वहन किये गये व्यय के लिए डेबिट किया जाता है और प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) द्वारा सहायक दस्तावेजों की प्राप्ति पर निष्पादित किया जाता है। इस मद के निष्पादन पर रोकड़ शेष में कोई प्रभाव नहीं होता है।

3.9 राज्य के पुनर्गठन पर शेषों का संविभाजन

पूँजी अनुभाग (₹ 11,935.23 करोड़) और ऋण व अग्रिम (₹ 6,583.36 करोड़) के अंतर्गत शेष सहित लोक लेखा शीर्षों के अधीन ₹ 7,443.90 करोड़ की राशि का नवंबर 2000 में तत्कालीन बिहार राज्य के पुनर्गठन के लगभग दो दशकों के बाद भी उत्तरवर्ती बिहार और झारखंड राज्यों के बीच संविभाजन किया जाना बाकी था। झारखंड सरकार ने पेंशन दायित्वों के भुगतान के लिए बिहार सरकार द्वारा ₹ 4,502.02 करोड़ के दावे के विरुद्ध ₹ 936.82 करोड़ का भुगतान किया। राज्य सरकार ने बिहार सरकार के दावे को चुनौती देते हुए मई 2012 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया था जो अभी भी विचाराधीन है।

अग्रतर, 52 मदों की सूची तैयार की गयी जिसका उत्तरवर्ती राज्यों के बीच संविभाजन किया जाना बाकी है क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। विभिन्न लंबित अदालती मामलों की स्थिति प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के पास उपलब्ध नहीं है।

अनुशंसा: राज्य सरकार को दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के बीच जमा एवं अग्रिमों के अंतर्गत शेषों के संविभाजन को शीघ्र निबटाने की आवश्यकता है।

3.10 राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन

वर्ष 2011-12 के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के कंडिका 2.4.4 (विगत वर्षों से संबंधित प्रावधानों से आधिक्य व्यय) पर लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) पहले ही चर्चा कर चुकी है तथा लो.ले.स. की अनुशंसा पर दिनांक 13.01.2014 को ₹ 8,120.63 करोड़ में से ₹ 8,120.12 करोड़ के प्रावधान से आधिक्य व्यय की राशि को विनियमित कर दिया गया। उस तिथि के बाद वर्ष 2017-18 तक प्रावधानों से किसी भी आधिक्य व्यय को विनियमित नहीं किया गया क्योंकि इस संबंध में लो.ले.स. द्वारा कोई अनुशंसा नहीं की गयी है।

3.11 राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

व्यय और राजस्व की गलत बुकिंग/लेखांकन का परिणाम राजस्व आधिक्य की अत्योक्ति और राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति के रूप में हुआ, जैसा कि प्रतिवेदन में विभिन्न स्थानों पर उल्लिखित है, **तालिका 3.11** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.11: लेखापरीक्षा के अनुसार राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटा पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व आधिक्य पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव		बकाया दायित्वों पर प्रभाव
	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति	न्यूनोक्ति
निकाय/बोर्ड को श्रम सेस का हस्तांतरण न किया जाना	393.67	0.00	0.00	393.67	393.67
ऋणशोधन निधि का हस्तांतरण न किया जाना	334.13	0.00	0.00	334.13	334.13
ब्याज वाले आरक्षित निधि और जमा का क्रेडिट ना होना	102.49	0.00	0.00	102.49	102.49
प्रत्याभूति ऋणमुक्ति निधि में अंशदान न दिया जाना	0.79	0.00	0.00	0.79	0.79
कुल	**831.08**			**831.08**	**831.08**
निवल प्रभाव	**₹ 831.08 की अत्योक्ति**		**₹ 831.08 की न्यूनोक्ति**		

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे 2017-18

उपरोक्त के मद्देनजर, जैसा कि वित्त लेखे में अनुमानित हैं, राज्य का राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटा जो ₹ 1,803.96 करोड़ और ₹ 11,932.92 करोड़ हैं, राजस्व आधिक्य के ₹ 831.08 करोड़ की अत्योक्ति और राजकोषीय घाटे के ₹ 831.08 करोड़ की न्यूनोक्ति के कारण, वास्तव में क्रमशः ₹ 972.88 करोड़ और ₹ 12,764 करोड़ होगा जैसा कि **तालिका 3.11** में दिया गया है। उपरोक्त तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि राज्य के दायित्वों को ₹ 831.08 करोड़ तक कम दर्शाया गया है।

राँची — **(इंदु अग्रवाल)**

दिनांक: — **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली — **(राजीव महर्षि)**

दिनांक: — **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**